सुरेश शर्मा बनाम रामनिवास
241/24

20/12/24 पत्रावली पेश हुई [illegible] रस.
अन्य राज्य [illegible] है। [illegible]
पत्रावली [illegible] तारीख 3/1/25
को पेश हो।

3/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
पत्रावली वास्ते बहस तैयारी हेतु दिनांक
8/1/25 है।

[illegible] अधिकारी
[illegible] (सांगानेर)

8/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०
बहस प्रार्थी प्रा०पत्र पेश आई सुनी गई।
बहस प्रार्थी व पत्रावली का गम अवलोकन
करने पर मुद्दा मामलात के अंतिम फैसला
जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक
26/9/2024 को मूलवाद के निस्तारण तक
बरकरार किया जाता है। पत्रावली बैक
शुमार होकर, दर्ज नम्बर रोकड़ के
बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Ready
3/1/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय
जयपुर महानगर जयपुर

प्रार्थनापत्र संख्याः 241 / 2024

सूरेश शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा, जाति– बगाडा ब्राहमण, उम्र– 33 वर्ष, निवासी– पिपली की ढाणी, ग्राम तेजावाला, पोस्ट कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर। हाल निवासी– मकान न. 130, श्री रामविहार, रिको काटा, मानसरोवर जयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. रामनिवास शर्मा पुत्र स्व.श्री धासी,
2. सूनील शर्मा पुत्र रामनिवास
   निवासीयान–पिपली की ढाणी, ग्राम तेजावाला, पोस्ट कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. सीता शर्मा पुत्री रामनिवास पत्नी श्री कृष्णगोपाल, निवासी– ग्राम अचरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. लाली पुत्री रामनिवास पत्नी श्री रामावतार, निवासी– ग्राम कांगडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र धासी
6. कैलाश चन्द पुत्र सूज्या
7. ताराचन्द पुत्र सूज्या
8. धन्नालाल पुत्र सूज्या
9. केसर लाल पुत्र सूवालाल

Suresh